



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक : 1409 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-07

दिनांक : 16.07.2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन ज्ञाप सं० 1046 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-07 दिनांक 18.07.2017 के द्वारा वेतन विसंगति / वेतन समानता सम्बन्धी प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु गठित अधिकारियों की समिति में श्री ओम प्रकाश, उपमुख्य लेखाधिकारी / उपमहाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल का कारपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उक्त समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. श्री ए०के० जुयाल, उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०), पिटकुल, देहरादून - सदस्य।
2. श्रीमती शालू जैन, उपमुख्य लेखाधिकारी, कारपोरेट लेखा स्कन्ध, पिटकुल, देहरादून - सदस्य।
3. श्री बी०एस० पांगती, अधिशासी अभियन्ता (सं०), निदेशक (परियोजना) कार्यालय, पिटकुल, देहरादून-सदस्य।
4. श्री अजय कुमार शर्मा, लेखाधिकारी, कारपोरेट लेखा स्कन्ध, पिटकुल, देहरादून- सदस्य।
5. श्री टी०एस० रौतेला, प्रशासनिक अधिकारी, मानव संसाधन विभाग, पिटकुल, देहरादून- संयोजक एवं सदस्य।

उपरोक्त गठित समिति का दायित्व होगा कि मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग में प्राप्त विसंगति / वेतन समानता सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार-विमर्श कर कारपोरेशन नियमानुसार अपनी सुस्पष्ट आख्या / संस्तुति निदेशक (मा०सं०), पिटकुल को प्रस्तुत करेंगे तदोपरान्त निदेशक (मा०सं०) एवं निदेशक (वित्त) उक्त आख्या पर अपनी संयुक्त संस्तुति अंकित करने के उपरान्त प्रकरण निदेशक (मा०सं०), पिटकुल के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल के अनुमोदनोपरान्त प्रस्तुत किया जायेगा।

निदेशक (मा०सं०)

पत्रांक: 1409 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / ईओ-7 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वित्त) / (परियोजना) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त सदस्य समिति (नाम से)।
7. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा०सं०)